

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III/९०७

दिनांक :- 11.04.2018

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु मनोनीत किया गया था। किन्तु उनके द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त रखने के अनुरोध के आधार पर उन्हें उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त रखने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे आगे आयोजित होने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक रूप से सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री एवं मेरिट सं. व वर्ष	प्रशिक्षण के आदेश सं./तिथि व क्र.सं. सहित	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षण से मुक्त रखने का कारण
01	बलवीर महरिया 1026/2013	4/2018-19 दि. 04.02.18 - 4	ह.च.मा.लो.प्र.सं. (रीपा) बीकानेर	विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III/९०७

दिनांक :- 11.04.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

9. निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) बीकानेर।
12. सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष.....।
13. सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार.....।
14. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
15. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
16. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)